राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

—: आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं से संबंधित अभ्यर्थियों की सामान्य जिज्ञासाएं :—

Last Updated :30-01-2025

(Disclaimer)

प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (FAQ) का यह संकलन सामान्य मार्गदर्शन, सूचना और उपयोगकर्ताओं की सहायता के लिए प्रकाशित किया गया है। इसमें निहित जानकारी सामान्य प्रकृति की है और किसी भी प्रकार से संपूर्ण नहीं है तथा इसमें शामिल मुद्दे कानूनी या वैधानिक अभिमत, सलाह, विवेचना या प्राधिकार की प्रकृति के नहीं है। उद्धृत किए गए नियमों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को समय के साथ परिवर्तित या संशोधित किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में राजस्थान लोक सेवा आयोग ऐसी किसी भी देयता, हानि, क्षति या किए गए व्यय या ऐसे दावे के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो इस संकलन में निहित सामग्री का उपयोग करने के परिणामस्वरूप किया गया है, चाहे वह किसी भी सीमा में और इसके संबंध में किसी प्रकार की त्रुटि या चूक के कारण हो। यह भी लेख है कि अन्तिम एवं सटीक जानकारी हेतु सम्बन्धित भर्ती नियम एवं भर्ती विज्ञापन का ही अवलोकन किया जावे।

आयोग के क्षेत्राधिकार में आने वाले पदों की भर्ती हेतु संबंधित विभाग/शासन से नियमानुसार अर्थना प्राप्त होने पर पदों की भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के अंतर्गत विज्ञापित पदों पर चयन किया जाता है। अभ्यर्थियों द्वारा चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों से संबंधित भिन्न—भिन्न जानकारियां चाही जाती है जो कि आयोग के पोर्टल/वेबसाईट पर उपलब्ध होती है। कुछ विशेष जिज्ञासाएं जो अभ्यर्थियों द्वारा प्रकट की जाती हैं वे निम्नानुसार है, जो कि समय—समय पर प्रक्रिया के परिवर्तन होने पर परिवर्तनीय है।

प्रश्न 1. राजस्थान लोक सेवा आयोग के मुख्य कार्य क्या है?

उत्तर :–भारतीय संविधान के अनुच्छेद 320 में उल्लिखित प्रावधान के संदर्भ में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किये जाने वाले कार्य इस प्रकार हैं। लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जावेगा–

(क) असैनिक सेवाओं में और असैनिक पदों के लिए भर्ती की रीतियों से सम्बद्ध समस्त विषयों पर;

(ख) असैनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में पदोन्नति और स्थानान्तरण करने के तथा अभ्यर्थियों की ऐसी नियुक्ति, पदोन्नति अथवा स्थानान्तरण की उपयुक्तता के बारे में अनुसरण किये जाने वाले सिद्धान्तों पर;

(ग) ऐसे व्यक्ति पर, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है, प्रभाव डालने वाले अनुशासन विषयों से जो अभ्यावेदन या याचिकाएँ सम्बद्ध हैं, उनके सहित समस्त अनुशासनिक विषयों पर;

(घ) ऐसे व्यक्ति द्वारा कृत, जो राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा कर रहा है या कर चुका है, अथवा वैसे व्यक्ति के सम्बन्ध में कृत, या कर्तुमभिप्रेत, कार्यों के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध चलाई गई किन्हीं विधि–कार्यवाहियों में जो व्यय उसे अपनी प्रतिरक्षा में करना पड़ा है, वह यथा स्थिति राज्य की संचित निधि में से दिया जाना चाहिये, उस दावे पर;

(ङ) राज्य सरकार के अधीन असैनिक हैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन दिये जाने के लिए दावे पर तथा ऐसी ही दी जाने वाली राशि क्या हो, इस प्रश्न पर; एवं

(च) अन्य कोई मामला, जो शासन द्वारा संदर्भित किया जावे।

सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया एवं नियुक्ति दिये जाने के सिद्धान्तों को अपनाए जाने हेतु या इस प्रकार के पदों पर नियुक्ति प्रदान करने या ऐसी नियुक्तियों में अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के मामले में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है। जब तक सेवा में किसी भी पद की भर्ती के लिये सम्बन्धित सेवा नियमों में प्रावधान निहित है तब ही उस पद पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी–

(1) मंत्रालयिक सेवा में या

(2) राजस्थान लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1951 के अनुसार अधीनस्थ सेवा या राज्य सेवा में चाहे तकनीकी या गैर–तकनीकी जिसके प्रारंभिक वेतन के रूप में ग्रेड वेतन 3600/– रूपये प्रतिमाह या उससे कम है ।

प्रश्न 2. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा कौन–कौन सी परीक्षाओ का आयोजन किया जाता है?

उत्तर :– आयोग द्वारा विभिन्न सेवा नियमों में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप चयन प्रक्रिया मुख्यतः दो प्रकार से पूर्ण की जाती है – (प्रथम) साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से एवं (द्वितीय) साक्षात्कार सहित अथवा रहित प्रतियोगी परीक्षा द्वारा। साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के ऐसे मामलों में जहाँ अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है, आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की संख्या सीमित करने के उद्देश्य से संवीक्षा परीक्षाओं का आयोजन किया

जाता है। संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंकों का साक्षात्कार में भार नहीं दिया जाता था, किन्तु पूर्ण आयोग की बैठक दिनांक 24–04–2019 में लिये गये निर्णय अनुसार साक्षात्कार के अंको का तीन भागों में विभाजन किया गया हैः– शैक्षणिक योग्यता, संवीक्षा परीक्षा में प्राप्त अंको का भारांक तथा साक्षात्कार के प्राप्तांक।

A-Recruitment through Written Competitive Exam Only

S.No.	Name of Rule	Name of Department	Name of Post
1.	The Rajasthan Computer State and Subordinate Service Rules, 1992	Information Technology & Communication Department	1. Analyst cum programmer (Deputy Director) 2. Programmer
2.	The Rajasthan Educational (State and Subordinate) Service Rules, 2021	Secondary Education Department	1.Lecturer (various Subjects) 2.Senior Teacher (Various Subjects) 3.Senior Teacher (Special Education)(various Subjects) 4.Sr. Physical Education Teacher 5.Librarian Grade-II
3.	The Rajasthan Sanskrit Education State and Subordinate Service (School Branch) Rules, 2015	Sanskrit Education Department	1.Head Master, Praveshika School/ Senior Deputy Inspector 2.Lecturer/Deputy Inspector 3.Senior Teacher/Teacher in Arts Grade-II/ Teacher in Crafts Grade-II 4.PTI Grade-II 5.Librarian Grade-II
4.	The Rajasthan Prosecution Subordinate Service Rules, 1978	Home Department (Prosecution)	1.Assistant Prosecution Officer
5.	The Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2001	Evaluation Organisation Department	1.Research Assistant
6.	The Rajasthan Statistical Subordinate Service Rules, 1971	Economics & Statistics Department	1.Assistant Statistical Officer
7.	The Rajasthan Statistical Service Rules, 1958	Economics & Statistics Department	1. Statistical Officer
8.	The Rajasthan Women Empowerment (State and Subordinate) Service Rules, 2017	Women Empowerment Department	1.Protection Officer
9.	The Rajasthan Medical and Health Subordinate Service Rules, 1965	Medical & Health Service Department	1.Nursing Tutor 2.Hospital Caretaker 3.Food Safety Officer 4.Occupational Therapist 5.Physio Therapist 6.Dietician
10.	The Rajasthan Municipal (Administrative & Technical)Service Rules, 1963	Local Self Government	1.Assistant Engineer(Civil) 2.Revenue Officer Gr.II 3.Executive Officer Gr.IV
11.	The Rajasthan Town Planning Service Rules, 1966	Department of Town Planning	1.Assistant Town Planner 2.Assistant Engineer

12.	The Rajasthan Agriculture Service Rules, 1960	Agriculture Department	1.Agriculture Officer 2.Agriculture Research Officer (various branch) 3.Statistical Officer
13.	The Rajasthan Agriculture Subordinate Service Rules, 1978	Agriculture Department	1.Assistant Agriculture Officer 2. Assistant Agriculture Research Officer (various branch) 3. Assistant Statistical Officer
14.	The Rajasthan Ground Water Service Rules, 1969	Ground Water Department	1.Assistant Engineer (Mechanical) 2. Assistant Engineer (Civil) 3.Junior Hydro Geologist 4.Junior Geophysicist 5.Junior Chemist 6.Junior Hydro-meteorologist
15.	The Rajasthan Ground Water Subordinate Service Rules, 1973	Ground Water Department	1.Technical Assistant (Hydrogeology) 2. Technical Assistant (Chemistry)
16.	The Rajasthan Mines and Geological Service Rules, 1960	Mines & Geology Department	1.Assistant Mining Engineer 2.Assistant Mechanical Engineer 3.Assistant Drilling Engineer 4. Geologist 5.Chemist 6.Senior chemist 7.Junior Geophysicist
17.	The Rajasthan Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy Service Rules, 1973	Ayurveda Department	1.Lecturer 2.Demonstrator 3.Analyst 4.Chemist 5.Botanist 6. Yoga and Prakratik Chikitsa Adhikari
18.	The Rajasthan Evaluation Service Rules, 1979	Planning (Evaluation) Department	1.Evaluation Officer
19.	The Rajasthan Archaeology and Museums Service Rules, 1960	Archaeology and Museum Department	1.Exploration and excavation officer 2. Curator. 3.Numismatist.
20.	The Rajasthant Archives Subordinate Service Rules, 1968	Archives Department	1.Archivist 2.Research Officer 3.Chemist 4.Assistant Archivist 5.Research Scholar
21.	The Rajasthan Engineering Service (Electrical Inspectorate Branch) Rules, 1975	Department of Electrical Inspectorate (Energy)	1.Assistant Electrical Inspector
22.	The Rajasthan Motor Garage Subordinate Service Rules, 1979	Rajasthan State Motor Garage Deptt.	1.Divisional Superintendent Motor Garage
23.	The Rajasthan Fisheries State and Subordinate Service Rules, 2012	Fisheries Department	1.Fisheries Development Officer 2.Assistant Fisheries Development Officer

24.	The Rajasthan Forensic Science Service Rules, 1979	Forensic Science Laboratory Department	1.Senior Scientific Officer (Various Division)
25.	The Rajasthan Animal Husbandry Service Rules, 1963	Animal Husbandry Department	1.Veterinary Officer
26.	The Rajasthan Service of Inspector of Factories and Boilers and Inspector of Factories (Chemical) Rules, 1958	Factories & Boilers Department	1. Inspector of factories & boilers 2.Deputy Director Safety, Museum & Training Center 3.Deputy Director Industrial hygiene 4.Inspector of factories (Chemical) 5.Assistant Director, Industrial Safety, Museum & Training Center
27.	The Rajasthan Social Welfare Service Rules, 1963	Social Welfare Department	1.Lecturers
28.	The Rajasthan Government Presses Service Rules, 1960	Government Presses Department	1.Assistant Superintendent
29.	The Rajasthan Horticulture Service Rules,1962	Department of Horticulture	1.Superintendent Gardens
30.	The Rajasthan Language and Library (State & Subordinate) Service Rules, 2013	Language and Library Department	1.Librarian Grade-II/Assistant Academic Officer
31.	The Rajasthan Petroleum State and Subordinate Service Rules, 2012	Directorate of Petroleum	1.Assistant Petroleum Engineer
32.	The Rajasthan Technical Training Subordinate Service Rules, 1975	Technical Education Department	1.Group Instructor/ Surveyor/ Assistant Apprenticeship Advisor (Gr.II)

B. Recruitment through Competitive Exam and Interview

S.No.	Name of Rule	Name of Post	Name of Department
1.	The Rajasthan State and Subordinate Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination), 1999	• Rajasthan State and Subordinate Services Competitive Examination	Department of Personnel
2.	The Rajasthan State Engineering Services (Direct Recruitment by Combined Competitive Examination) Rules, 1991	• Assistant Engineer (Mechanical/Civil/Electrical) Comb. Comp. Examination	
3.	The Rajasthan Forest Service Rules, 1962	• Assistant Conservator of Forest	Forest Department
4.	The Rajasthan Forest Subordinate Service Rules, 2015	• Forest Range Officer Grade-I	
5.	The Rajasthan Educational Service (Collegiate Branch) Rules, 1986	• Assistant Professor, Various Subjects	College Education Department

6.	The Rajasthan Librarian and Physical Training Instructor Service (Collegiate Branch) Rules, 2023	• Librarian • Physical Training Instructor	College Education Department
7.	The Rajasthan Police Subordinate Service Rules, 1989	• Sub-Inspector • Platoon Commander	Home Department
8.	The Rajasthan Police Service Rules, 1954	• Dy. Supdt. of Police Wireless	
9.	The Rajasthan Jails Subordinate Service Rules, 1998	• Deputy Jailor	
10.	The Rajasthan Legal (State and Subordinate) Service Rules, 1981	• Junior Legal Officer	Law and Legal Affairs Department
11.	The Rajasthan Vidhi Rachna (State And Subordinate) Service Rules, 1981	• Vidhi Rachanakar	
12.	The Rajasthan Sanskrit Education (Collegiate Branch) Service Rules, 2022	• Assistant Professor, Various Subject • Librarian • Physical Training Instructor	Sanskrit Education Department
13.	The Rajasthan Medical Service (Collegiate Branch) Rules, 1962	• Assistant Professor • Senior Demonstrator	Medical Education Department
14.	The Rajasthan Technical Training Service Rules, 1975	• Vice Principal/Supdt. ITI	Technical Education Department
15.	The Rajasthan Technical Education (Engineering) Service Rules, 2010	• Principal/Joint Director • Head of Department (Engg./Architect)/Assistant Director • Lecturer/Assistant Training and Placement Officer/Academic Officer	
16.	The Rajasthan Technical Education (Non Engineering) Service Rules, 2010	• Principal • Head of Department • Lecturer- Various Subjects	
17.	The Rajasthan Public Relations Service Rules, 1966	• Public Relation Officer	Information and Public Relation Department
18.	The Rajasthan Science and Technology (State and Subordinate) Service Rules, 2021	• Assistant Director	Science & Technology Department
19.	The Rajasthan Home Guards and Civil Defence Service Rules, 1976	• Deputy Commandant (Only for Ex-captain)	Home Guards & Civil Defence Department

C. By the method of Interview based on Weightage formula

S.No.	Name of Rule	Name of Post	Name of Department
1.	The Rajasthan Service of Engineers and Allied posts (Public Health Branch) Rules, 1968	• Junior Chemist • Zoologist	Public Health Engineering Department
2.	The Rajasthan Service of Engineers and Research Officers (Irrigation Branch) Rules, 1954	• Assistant Soil Officer • Assistant Research Officer	Irrigation Department
3.	The Rajasthan Public Service Commission (Ministerial and Subordinate Services) Rules and Regulations, 1999	• Librarian	Rajasthan Public Service Commission
4.	The Rajasthan Rural Ayurvedic, Unani, Homoeopathy and Naturopathy. Service Rules, 2008	• Rural Ayurved Chikitsak • Rural Homeopathic Chikitsak • Rural Yunani Chikitsak	Ayurved Department
5.	The Rajasthan Service of Engineers (Buildings and Roads Branch) Rules,1954	• Assistant Testing Officer	Public Works Department

D. Recruitment through Interview (Commission/Appointment Authority)

S.No.	Name of Rule	Name of Post	Name of Department
1.	The Rajasthan Civil Aviation State Service Rules, 2013	• Junior Pilot (Aircraft) • Junior Pilot Helicopter • Aircraft maintenance Engg. • Quality Manager and CAME	Aviation Service Department
2.	The Rajasthan Industries Subordinate Service Rules, 1966	• Salt Superintendent/ Analyst	Industries and Commerce Department

E. Recruitment through Interview or Written Exam (Commission/Appointment Authority)

S.No.	Name of Rule	Name of Post	Name of Department
1.	The Rajasthan Subordinate Services (Recruitment and other Service Conditions) Rules 2001	• Technical Assistant	Factory and Boilers Department
		• Research Officer	Arabic and Persian Research Institute
		• Medical Records Officer	Medical College Department

प्रश्न 3. विज्ञापन कब तक एवं कितने पदों हेतु जारी किया जायेगा?

उत्तरः– विभाग से निर्धारित अर्थना–पत्र मय पदों के वर्गीकरण के प्राप्त होने पर एवं आयोग स्तर पर आवश्यक जाँच उपरान्त ही नियमानुसार विज्ञापन जारी करने की कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न 4. विभिन्न पदों की भर्ती, पदों की संख्या एवं ऑनलाईन प्रक्रिया संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तरः– आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर विभिन्न पदों की भर्ती अथवा पदों की संख्या में परिवर्तन संबंधित विज्ञप्ति एवं अन्य जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। अभ्यर्थी https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर उपलब्ध मैन्यू "Candidate information" के अंतर्गत "Recruitment Advertisements" लिंक को क्लिक कर **अथवा** "Exam Dashboard" लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष "Recruitment Advertisements"के कॉलम लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।

प्रश्न 5. विज्ञापन के तहत **आयु/योग्यता/पदों** के संबंध में जानकारी कहाँ उपलब्ध होगी?

उत्तरः–अभ्यर्थी https://rpsc.rajasthan.gov.in/advertisements लिंक पर जाकर विज्ञापन का अवलोकन करें।

प्रश्न 6. आयोग द्वारा जारी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी?

उत्तरः– आयोग द्वारा जारी अभ्यर्थियों के लिए सामान्य निर्देश आयोग की वेबसाईट लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in पर Candidate Information > Important Downloads > Instructions for Applicants उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है वे इन सामान्य निर्देशों को आवश्यक रूप से देखें एवं पढ़ लें।

प्रश्न 7. आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों से संबंधित जारी प्रेस नोट की जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तरः- आयोग द्वारा विभिन्न भर्तियों से सम्बन्धित जारी प्रेस नोट की जानकारी निम्न तरीके से ले सकते है– अभ्यर्थी द्वारा https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर उपलब्ध मैन्यू “Candidate information” के अन्तर्गत “Press Note” लिंक को क्लिक कर **अथवा** https://rpsc.rajasthan.gov.in/pressnotes लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर **अथवा** https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard के अंतर्गत संबंधित भर्ती के समक्ष "Press Note" के कॉलम लिंक को क्लिक कर जानकारी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 8. विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों से सम्बन्धित जानकारी कहाँ एवं कब मिलेगी ?

उत्तरः- आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की तिथियों से संबंधित जानकारी निम्न तरीके से ले सकते हैं:- अभ्यर्थी द्वारा Exam Dashboard लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard के अन्तर्गत

संबधित भर्ती के समक्ष "Proposed Exam Date" के कॉलम लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर उपलब्ध "Upcoming Exams" हैडिंग के अन्तर्गत "View All Exam Dates" लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है **अथवा** https://rpsc.rajasthan.gov.in/proposedexamdate लिंक को क्लिक कर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बंधित विज्ञापन का चुनाव कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 9. विभिन्न परीक्षाओं में श्रुतलेखक की सुविधा कैसे प्राप्त की जा सकती है?

उत्तरः– श्रुतलेखक के संबंध में विस्तृत निर्देश आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर Candidate Information > Important Downloads> Instructions for Applicants के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 5 से प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 10. OTR प्रक्रिया क्या है तथा इस प्रक्रिया द्वारा ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तरः– आयोग द्वारा जारी विज्ञापन हेतु ऑनलाईन आवेदन "Recruitment Portal" के माध्यम से किया जाता है। इस हेतु अभ्यर्थी को SSO Portal पर लॉगिन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी हेतु अभ्यर्थी आयोग के पोर्टल पर "Important Downloads" सेक्शन के अन्तर्गत अथवा लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/InformationForCandidates/OTR_Manual.pdf में देखें।

प्रश्न 11. विभिन्न परीक्षाओं हेतु पंजीकृत अभ्यर्थियों की कुल संख्या/वर्गवार संख्या की जानकारी कहाँ मिलेगी?

उत्तरः– अभ्यर्थी स्वयं की SSO ID से Recruitment Portal पर Login कर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की वर्गवार संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

प्रश्न 12. क्या ऑनलाईन आवेदन के पश्चात भरे गए आवेदन पत्र में संशोधन किया जा सकता है?

उत्तरः–आवेदन की अवधि के दौरान व आवेदन की अंतिम दिनांक के पश्चात 10 दिवस के लिये एवं आयोग द्वारा प्रथम घोषित परीक्षा आयोजन की तिथि से लगभग 60 दिवस पूर्व 7 के लिये विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों के अनुसार ही ऑनलाईन संशोधन हेतु विकल्प खोला जायेगा।

प्रश्न 13. क्या अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में स्वयं के नाम/पिता के नाम/लिंग/जन्मदिनांक में परिवर्तन एवं अन्य संशोधन किये जा सकते हैं ?

उत्तरः– ऑनलाईन आवेदन पत्र में उक्त चारों प्रविष्टियां One Time Registration (OTR) से स्वतः प्राप्त (Auto Fetch) होती है। इस कारण इन प्रविष्टियों में परिवर्तन अनुमत नहीं है, तथापि वर्तनी संबंधी अशुद्धि को कालान्तर में दस्तावेज सत्यापन के समय परीक्षण कर यथोचित निर्णय किया जाता है। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लेवें कि उक्त OTR में उक्त सभी प्रविष्टियां अभ्यर्थी के दस्तावेजों के अनुरूप हों। यदि नहीं हो तो सर्वप्रथम अभ्यर्थी मूल दस्तावेज को संशोधन करावें एवं तदुपरांत ही OTR से Fetch करें।

प्रश्न 14. परीक्षा उपरान्त ऑनलाईन आवेदन पत्र में संशोधन किस प्रकार होता है?

उत्तरः—ऑनलाईन आवेदन पत्र में परीक्षा उपरान्त संशोधन नहीं किया जाता है। केवल परीक्षा उपरान्त एवं परिणाम जारी होने से पूर्व आकस्मिक रूप से विधवा/दिव्यांग हो गये अभ्यर्थियों को ही परिणाम जारी होने से पूर्व संशोधन की अनुमति दी जाती है, परन्तु इस आकस्मिक घटना से पूर्व के परिणाम की समीक्षा नहीं की जायेगी।

प्रश्न 15. यदि Recruitment Portal नहीं खुल रहा है या धीमा चल रहा है तो क्या करें ?

उत्तरः— आवेदक इस हेतु कुछ समय पश्चात पुनः प्रयास करे क्योंकि नेटवर्क समस्या अथवा सर्वर पर अत्यधिक भार होने पर ऐसा संभव है। साथ ही समस्त अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि से पर्याप्त समय पूर्व ही आवेदन की कार्यवाही कर लेवें ताकि अंतिम दिनांक पर किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो । आयोग ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया से ही फार्म भरवाता है एवं इस आवेदन प्रक्रिया हेतु निर्धारित समय उपलब्ध कराता है। अतः अभ्यर्थी समय पूर्व ही आवेदन भरना सुनिश्चित करें।

प्रश्न 16. क्या ऑनलाइन आवेदन के साथ उसका प्रिंटआउट भी डाक से भेजने की आवश्यकता है?

उत्तरः— ऑनलाइन आवेदन के साथ उसका प्रिंटआउट भेजने की आवश्यकता नहीं है। आवेदक एप्लीकेशन का प्रिंटआउट निकाल कर रखना सुनिश्चित करे जिसकी प्रति आयोग द्वारा चाहने पर अभ्यर्थी को प्रस्तुत करनी होगी।

प्रश्न 17. विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तर:- आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के पाठ्यक्रम जारी कर आयोग की वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कराए जाते हैं जिसकी जानकारी अभ्यर्थी निम्न तरीके से ले सकते हैं अथवा ”Exam Dashboard” लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard के अन्तर्गत सम्बन्धित भर्ती के समक्ष “Syllabus” लिंक को क्लिक कर अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in/syllabus लिंक को क्लिक कर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बन्धित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in लिंक को क्लिक कर उपलब्ध मैन्यू “Candidate Information” के अंतर्गत “Syllabus” लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 18 : विभिन्न विज्ञापित परीक्षाओं के पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाईट पर कब जारी किये जाते है ?

उत्तर : विभिन्न परीक्षाओं की विज्ञप्ति जारी होने के पश्चात् पाठयक्रम तैयार कर यथासमय वेबसाईट https://rpsc.rajasthan.gov.in पर अपलोड किया जाता है।

प्रश्न 19 : विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्नों का माध्यम क्या होता है ?

उत्तर : सामान्यतया आयोग द्वारा विज्ञापित पदों की योग्यता के अनुरूप प्रश्न पत्रों का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी निर्धारित किया जा सकता है।

प्रश्न 20 : आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के विशेषज्ञों के नाम, पदनाम, अनुभव, पता, कार्य–स्थल, वेतनमान आदि की जानकारी क्या प्राप्त की जा सकती है?

उत्तर : R.T.I. Act 2005 के तहत संधारित सूचनाएं/दस्तावेज ही उपलब्ध करवाये जाते हैं। R.T.I. Act 2005 की धारा 8 बिन्दु 1 (घ)(ङ)(छ) के अनुसार विशेषज्ञों के नाम, पदनाम, अनुभव, पता, कार्यस्थल, वेतनमान अथवा अन्य कोई जानकारी **देय नहीं है।**

प्रश्न 21. विभिन्न परीक्षाओं के उत्तर कुंजी से संबंधित जानकारी कहाँ मिलेगी ?

उत्तरः- आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात् मॉडल (या अन्तिम) उत्तरकुंजी यथा–शीध्र आयोग की वेबसाईट के निम्न लिंक से प्राप्त की जा सकती है :–

अभ्यर्थी द्वारा "Exam Dashboard" लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard के अन्तर्गत सम्बन्धित भर्ती के समक्ष "Answer Keys" के कॉलम लिंक को क्लिक कर अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in/answerkeys लिंक पर जाकर कर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बन्धित विज्ञापन का चुनाव कर अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध मैन्यू "Candidate Information" के अन्तर्गत "Answer Keys" लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 22. मॉडल उत्तर–कुंजी पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की प्रक्रिया क्या है?

उत्तरः– आयोग द्वारा परीक्षाओं के आयोजन के पश्चात् मॉडल उत्तर–कुंजी एवं प्रेस नोट आयोग की वेबसाईट पर जारी किया जाता है तदनुसार अभ्यर्थी एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रुटमेंट पोर्टल पर सम्बन्धित परीक्षा का चयन कर अपनी आपत्तियों दर्ज करा सकता है। ऑफ लाइन प्राप्त आपत्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है।

प्रश्न 23. मॉडल उत्तर–कुंजी पर ऑन–लाइन आपत्तियों के संदर्भ में विषय विशेषज्ञों की रिपोर्ट क्या प्राप्त की जा सकती है?

उत्तरः– विशेषज्ञों की राय/रिपोर्ट सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) (छ) के अनुसार **देय नहीं है।**

प्रश्न 24. उत्तर–कुंजी तैयार करने हेतु उपयोग में ली गई प्रमाणिक पुस्तकों की जानकारी कैसे प्राप्त की जा सकती है?

उत्तरः–आयोग द्वारा भर्ती परीक्षाओं को सुरक्षित एवं गोपनीय बनाये रखने के उद्देश्य से इस प्रकार की जानकारी प्रसारित **नहीं की जाती है।**

प्रश्न 25. विभिन्न परीक्षाओं के **परिणाम/प्राप्तांक/अंतिम कट–ऑफ मार्क्स** की जानकारी कहां मिलेगी?

उत्तर:-आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम एवं अभ्यर्थी के प्राप्तांक एवं अंतिम कट–ऑफ मार्क्स संबंधित जानकारी निम्न तरीके से ले सकते हैः–

अभ्यर्थी द्वारा "Exam Dashboard" लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard के अन्तर्गत सम्बन्धित भर्ती के समक्ष "Results" के कॉलम लिंक को क्लिक कर अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in/results पर उपलब्ध मैन्यू "Candidate Information" के अन्तर्गत "Results" लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 26. पूर्व आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न–पत्र से संबंधित जानकारी कहां मिलेगी ?

उत्तर:- आयोग द्वारा विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी निम्न तरीके से ले सकते हैं:-
अभ्यर्थी द्वारा "Exam Dashboard" लिंक https://rpsc.rajasthan.gov.in/examdashboard के अन्तर्गत सम्बन्धित भर्ती के समक्ष "Question Paper(s)" के कॉलम लिंक को क्लिक कर अथवा https://rpsc.rajasthan.gov.in/quespapers लिंक पर जाकर विज्ञापन वर्ष एवं सम्बन्धित विज्ञापन का चुनाव कर **अथवा** https://rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध मैन्यू "Candidate Information" के अन्तर्गत "Question Papers" लिंक को क्लिक कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्रश्न 27–साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु आयोग द्वारा वर्गवार न्यूनतम् उत्तीर्णांक (Minimum Qualifying Marks) किस प्रकार रखे गए हैं ?

उत्तर:- साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती के पदों हेतु समय–समय पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णयानुसार वर्गवार न्यूनतम उत्तीर्णांक (Minimum Qualifying Marks) निम्नानुसार रखे गए हैं :–

GEN/OBC/MBC/EWS Candidates	50 Marks
SC/ST/PH Candidates	45 Marks

Maximum Marks – 100 Marks

प्रश्न 28. आयोग में गठित प्रि–लिटिगेशन कमेटी (PLC) का क्या उद्देश्य/कार्य है ?

उत्तरः– आयोग द्वारा विज्ञापित विभिन्न विज्ञापनों के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा विविध तथ्यों पर माननीय न्यायालय की शरण ली जाती हैं जिसके कारण आयोग के विरूद्व वादकरण में वृद्धि होती हैं। अतः बढते वादकरण को कम करने की दृष्टि से आयोग स्तर पर दिनांक 01.03.2019 को प्री–लिटिगेशन कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया। जिसमें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में सम्बन्धित अभ्यर्थियों के अभ्यावेदनाओं को जॉंचा/निस्तारित किया जाता है। इससे आयोग के विरूद्ध वादकरण में कमी आई है।

नोटः– ऑनलाईन आवेदन के संबंध में किसी भी प्रकार की जानकारी कार्यालय समय में आयोग की वेबसाइट (https://rpsc.rajasthan.gov.in) पर "Contact Us" में उपलब्ध दूरभाष नम्बर तथा फीडबैक ई–मेल द्वारा सम्पर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त भर्ती पोर्टल पर उपलब्ध हेल्प लाईन अथवा recruitmenthelpdesk@rajasthan.gov.in पर E-Mail कर समस्या का निराकरण किया जा सकता है।